

31/5/24

पत्रावली प्रार्थना पत्र तलब लिए अभी
पेश होने पर तलब की गई। साथ/
प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाबत
प्रकरण विज्ञा के आधार पर खारिज
निए जाने के साथ वर्तमान जमाबंदी
क्रियेक धारक प्रतिलिपि 60559 फिनंक
31/5/2024 की पेश की गई।

पत्रावली का अपलौकन करने पर हम
पते हैं कि प्रार्थी ने सीधे सुनवाई। पत्रावली
तलब-चरण-02 में जादिर लिया है कि
प्रार्थी उक्त उनवानी वाद में आगे नहीं
चलाना चाहते हैं। इस बाबत इन्होंने
नयी (वर्तमान) जमाबंदी वादी संख्या
02 के नाम होने की पेश की। पेश
जमाबंदी के आधार पर वादी संख्या
01, 03 ल 0॥ अब खातेदार नहीं हैं।
पेश (वर्तमान) जमाबंदी के आधार पर
वादी संख्या 02 रिकार्ड खातेदार
काशफार है। पत्रावली दिनांक



सहायक
जब...

फर्द अहकाम

यालय

सहायक प्रबन्धक
जयपुर नगर प्रबन्ध

नाम बनाम जी.कार.एन.सी.डी

दमा संख्या/वर्ष

2022 / 20

10	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/06/24	<p>में किया है। जिसे जार्ज ने तत्काल छिड़ जाने के संबंध में निवेदन किया। वादी संख्या 01, 03 तथा नाम वर्तमान में पेश नहीं जमाबंदी में अंकित नहीं है। केवल वादी संख्या 02 का नाम अंकित है। जार्ज / वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा पेश जार्जना पत्र वापस जार्जना पत्र पत्रावली तत्काल छिड़ जाने पर स्वीकार किया जाता है। पुंक्ति जार्जना पत्र पत्रावली तत्काल छिड़ जाने के साथ वाद विह्वल भी पेश किया है। जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। पत्रावली तत्काल कर विह्वल छिड़ जाने की अनुमति उद्देश्य की जानी प्राथमिक है। जार्ज का कहना है कि वह अपने कह को अभी नहीं चलाना चाहते हैं। अतः जार्ज का प्रार्थना पत्र वाद विह्वल पेश नहीं जमाबंदी (वर्तमान) के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 01, 03 तथा नाम पेश (वर्तमान) जमाबंदी में नहीं होने से instructions कारहीन होने के कारण एवं वाद विह्वल जार्जना पत्र स्वीकार होने से वादी का वाद खारिज प्रत्याया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फिलहाल शुक्र होकर दायित्व दफ्तर है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 31/05/24 को सुन न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

सहायक प्रबन्धक
जयपुर नगर प्रबन्ध